



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1024]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2017/पौष 1, 1939

No. 1024]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2017/PAUSA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2017

सं. 95/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 1580(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 152/2009- सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 943(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्;—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (i) क्रम संख्या 11, 12, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59B, 60, 62, 65, 70, 71, 84, 87, 92, 99, 101, 104, 110, 111 और 113 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “16.50” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (ii) क्रम संख्या 27, 28, 56, 137, 143, 179 और 181 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “2.75” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iii) क्रम संख्या 30 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “13.75” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (iv) क्रम संख्या 35 और 112 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8.25” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (v) क्रम संख्या 16, 41, 891 और 898 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “55.00” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

- (vi) क्रम संख्या 44 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “19.25” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (vii) क्रम संख्या 54 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “38.50” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (viii) क्रम संख्या 73 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “24.75” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (x) क्रम संख्या 83,141, 149, 172 और 232 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “5.50” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (xi) क्रम संख्या 154, 159, 184, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 206, 208, 210, 214, 217, 218, 222, 224, 227, 229, 231, 236, 240, 248, 265, 267, 269, 277, 283, 287, 296, 302, 306, 331, 333, 337, 350, 426, 431, 441, 444, 445, 451, 464, 469, 470, 473, 493, 504, 578, 585, 587, 648, 653, 661, 665, 788, 826, 843, 857, 862, 894, 895, 962 और 964 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “6.88” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (xii) क्रम संख्या 280, 293 और 314 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “11.00” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;
- (xiii) क्रम संख्या 508 और 511 में, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “4.13” को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/107/1996-टीआरयू (भाग-III)]

रुचि विष्ट, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 152/2009-सीमा शुल्क, तारीख 31 दिसम्बर, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 943(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2009 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 66/2016-सीमा शुल्क, 31 दिसम्बर, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), में सा.का.नि. 1206(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2017

No. 95/ 2017 - Customs

G.S.R. 1580(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 943(E), dated the 31st December, 2009, namely:—

In the said notification, in the Table—

- (i) in serial numbers 11, 12, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 59B, 60, 62, 65, 70, 71, 84, 87, 92, 99, 101, 104, 110, 111 and 113, for the entry in column (4), the entry, “16.50”, shall be substituted;
- (ii) in serial numbers 27, 28, 56, 137, 143, 179 and 181, for the entry in column (4), the entry “2.75” shall be substituted;
- (iii) in serial number 30, for the entry in column (4), the entry “13.75” shall be substituted;

- (iv) in serial numbers 35 and 112, for the entry in column (4), the entry “8.25” shall be substituted;
- (v) in serial numbers 16, 41, 891 and 898, for the entry in column (4), the entry “55.00” shall be substituted;
- (vi) in serial number 44, for the entry in column (4), the entry “19.25” shall be substituted;
- (vii) in serial number 54, for the entry in column (4), the entry “38.50” shall be substituted;
- (viii) in serial number 73, for the entry in column (4), the entry “24.75” shall be substituted;
- (ix) in serial number 74, for the entry in column (4), the entry “22.00” shall be substituted;
- (x) in serial numbers 83, 141, 149, 172 and 232, for the entry in column (4), the entry “5.50” shall be substituted;
- (xi) in serial numbers 154, 159, 184, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 202, 204, 206, 208, 210, 214, 217, 218, 222, 224, 227, 229, 231, 236, 240, 248, 265, 267, 269, 277, 283, 287, 296, 302, 306, 331, 333, 337, 350, 426, 431, 441, 444, 445, 451, 464, 469, 470, 473, 493, 504, 578, 585, 587, 648, 653, 661, 665, 788, 826, 843, 857, 862, 894, 895, 962 and 964, for the entry in column (4), the entry “6.88” shall be substituted;
- (xii) in serial numbers 280, 293 and 314, for the entry in column (4), the entry “11.00” shall be substituted;
- (xiii) in serial numbers 508 and 511, for the entry in column (4), the entry “4.13” shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2018.

[F. No. 354/107/1996-TRU (Vol. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note : The principal notification No.152/2009-Customs, dated the 31st December, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 943(E), dated the 31st December, 2009 and was last amended by notification No. 66/2016-Customs, dated the 31st December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1206(E), dated the 31st December, 2016.